# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक– 29.09.2019 के तहत् श्री पवन कुमार गुप्ता, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, नृसिहपुरा, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, टेहला–राजगढ, अलवर किया गया। श्री पवन कुमार गुप्ता ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या–3062/2019 श्री पवन कुमार गुप्ता बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या–3062/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक– 23.10.19 द्वारा अपीलार्थी श्री पवन कुमार गुप्ता को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री पवन कुमार गुप्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के चर्म कैंसर से पीडित होने तथा ईलाज एम्स, नई दिल्ली में चलने के कारण अपना पदस्थापन यथावत राउमावि, नृसिंहपुरा, जयपुर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की शारीरिक परिस्थितियों को देखते हुए इनका समायोजन राउमावि, नृसिंहपुरा, जयपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद रैगर, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, बाड़ीजोडी, जयपुर स्थानान्तरणाधीन राउमावि, नृसिंहपुरा, जयपुर का पदस्थापन राउमावि, गोपालपुरा–देवरी, जयपुर में किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./पवनकुमार गुप्ता/3062/2019 दिनांक– 18.11.19

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य–
9. संबंधित कार्मिक–
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर